


10.6.24 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्षों उप.। वादी का मूल  
वाद पक्ष खारिज किया जा चुका है मत! मजिस्ट्रेट  
छावला पक्ष का कोई हार्जियल नहीं रहे जा रहा है।  
मत! छावली का यह आवेदन इसी स्तर पर  
खारिज किया जा रहा है। पत्रावली वाद लम्बी  
वकील दोनों साक्षिण साक्षिण हैं।

निर्णय लिखा जाकर मुझे न्यायालय में  
बुझाया गया।

  
(मंगेश कुमार शर्मा)  
Rajko